



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 506826

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप :-

हम शिवनारायण एवं राधेलाल वर्मा कमशः अध्यक्ष एवं सचिव, जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान ग्राम-कोटवा सड़क, पोस्ट-हवौंघा, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि, हमारी सोसाइटी द्वारा दुर्गा फार्मसी कॉलेज, ग्राम-कोटवा सड़क, परगना-सूर्यपुर, तहसील-राम सनेही घाट, जिला-बाराबंकी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम-कोटवा सड़क, परगना-सूर्यपुर, तहसील-राम सनेही घाट, जिला-बाराबंकी में गाटा संख्या-79 रकबा 0.235 एवं गाटा सं.-94 रकबा 0.3467 को एत लीज पर प्राप्त भूमि गाटा सं.-78 रकबा 0.2495 हे. कुल रकबा-0.8312 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या-79 रकबा 0.235 एवं गाटा सं.-94 रकबा 0.3467 को एत लीज पर प्राप्त भूमि गाटा सं.-78 रकबा 0.2495 हे. कुल रकबा 0.8312 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 06.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।

सचिव

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान, बाराबंकी

अध्यक्ष

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान, बाराबंकी

NOTARIAL
District :-
Barrabanki
30/8/23



5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मरी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के राक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मरी कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मरी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मरी कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मरी कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विरविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी/आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लरक कम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मरी कालन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अधीक्षक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटसंकेत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी लेऊंगा।



80 राधिका



राधिका

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान, बाराबंकी

80 अध्यक्ष



अध्यक्ष

जानकी प्रसाद वर्मा मेमोरियल शिक्षण संस्थान, बाराबंकी